

ARBITDon't Underestimate
The Bitcoin

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

Gresham's law states that "bad money drives out good." This is why you find people converting their cash to bitcoin as cash is ever depreciating

Journaling and Feel the Emotional Benefits

If you want to chronicle your feelings, discover the right type of journaling for you.

अमेरिका में भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है ट्रम्प को 'डिपोर्टेशन' नीति का सख्ती से पालन करने के लिये

पित रिसर्च द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क ट्रम्प के इस निर्णय से सहमत हैं

-सुकुमार साह-

नई दिल्ली, 13 फरवरी। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने और अमेरिकी सीमा पर सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल की जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिका लोग इन क्षेत्रों में ट्रम्प की कार्रवाई का समर्थन करते हैं।

यू.एस. सर्वेक्षण के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क उम्मीदवारों को निवासित करने के प्रयासों को मंजुरी देते हैं जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें 35 प्रतिशत लोग इस नीति का मजबूत समर्थन करते हैं। इसके अनियत, लोग सीमा पर अधिक सैन्य बल भेजने के पक्ष में हैं। जिसमें 35 प्रतिशत लोग इस निर्णय का मजबूत समर्थन करते हैं।

हालांकि, ट्रम्प के आप्रवासन संबंधी कार्रवाई अदारों के अन्य तर्कों को जनता ने इस पर्सनल किया है। उदाहरण के लिए, केवल 47 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं, जबकि 55 प्रतिशत 52 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं। इसी तरह, केवल 44 प्रतिशत लोग जातीय और नस्तीय समूहों में भी उस प्रतिशत का समर्थन करते हैं जिसमें उन शहरों और राज्यों को दी जाने वाली संघीय निधि में कठौती करने

- पर, ट्रम्प के "हिमिग्रेशन" से संबंधित अन्य "एजीक्युटिव आदेश" को यह समर्थन नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिये उन प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता (फणिंडा) कम करने का निर्णय, जो ट्रम्प सरकार की "डिपोर्टेशन" नीति लागू करने में मदद नहीं करते, 52 प्रतिशत लोग इस आदेश के खिलाफ हैं।
- श्वेत अमेरिकी ट्रम्प की इन नीतियों के पक्ष में हैं, पर, अश्वेत अमेरिकीयों में इन नीतियों का ज्यादा समर्थन नहीं दिख रहा। एशिया मूल के अमेरिकी, हिस्पैनिक मूल अमेरिकी नागरिकों से ज्यादा समर्थन देते नज़र आये, सर्वे के अनुसार।
- रिपब्लिकन पार्टी के 74 प्रतिशत सदस्य मानते हैं, सरकार डिपोर्टेशन नीति के तहत उपयुक्त कार्यवाही कर रही है। जबकि, 73 प्रतिशत डॉमेकेट्स मानते हैं, ट्रम्प प्रशासन कुछ ज्यादा ही सख्ती दिख रहा है, "डिपोर्टेशन" के मामलों में।

आया है। इसमें श्वेत वयस्कों का समर्थन सामान्य रूप से अन्य समूहों की तुलना में अधिक है, खासकर अश्वेत वयस्क प्रशासन की कार्रवाई के प्रति सबसे कम समर्थन दर्शते हैं। हिस्पैनिकसंघ में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस संघर्ष में अधिसूचना जारी कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के बीच वैश्विक साझेदारी बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक है।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

नवी दिल्ली, 13 फरवरी। केन्द्र सरकार ने डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से हिस्पैनिक सामान्य रूप से अन्य समूहों की तुलना में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस संघर्ष में अधिसूचना जारी कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन रिंग द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन